

न्यायालय श्री मान् सपृष्ट महोदय राजस्व मण्डल चत्वारिंशी अक्षय शतमान १०५०

डी. एस. चौहान के
मरा आज दि १५/१०/५० को
प्रस्तुत

खलना दौषिण को १०/५
राजस्व मण्डल म.प्र. चत्वारिंशी



निम्न | ३३५७/८/१५

(५६)

बैसखुआ घमार तनय मन्दिरिया घमार निवासी क्लावल जेरपाठा तहसील नागौद
जिला सतना ५०५००

निगराकार

बनाम

श्री मती धीनया मुत्रो मन्दिरिया वर्तनी रामीकशीर घमार निवासी क्लावल
जेरपाठा निवासी गिरवारा तहसील गुनौर जिला पन्ना ५०५००

गैर निगराकार

निगरानी विस्तृत न्यायालय अनुचितभागीय अधिकारी
महोदय नागौद के ग्रकरण क्रमांक १११/अप्रील /

२०१३-१४ आदेश दिनांक ०२.०९.१५

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०५० भू. राजस्व
सीमा १९५९ ई०

मान्यवर,

निगरानी कर्ता की निगरानी निम्नानुसार है

ग्रकरण के सीमापत्र तथ्य

- १- यह दो निगराकार द्वारा विधारण न्यायालय नायव तहसीलदार महोदय
वृत्त जसो तहसील नागौद जिला सतना के समक्ष भीम छसरा क्रमांक ७/१३१,
४४/१क, २२३/१३१, २३१/१क, ३०४/१क कुल किला ५ कुल रकवा ८ वोडा ३ीवश्वा
स्थित ग्राम क्लावल जेरपाठा वटवारी हल्का पांसो तहसील नागौद जिला
सतना को अपने नाम नामान्तरण एवं बटनवारा कराये जाने हेतु अन्तर्गत
धारा १७८, ११० कानून माल अधीनस्थ के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था,
जिसका ग्रकरण क्रमांक ६२३१२७/२००९-१० है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-3357-दी०15

जिला - अस्सीतना

पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं आभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
१३।८।१९	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी.....₹५००..... नागरिक के प्रकरण क्रमांक॥। अपील। १३।५..... में पारित आदेश दिनांक ५।९।१५..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कॉलेजट बोर्ड..... को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक १४।१०।१९ को कॉलेजट बोर्ड..... के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(महेश/चन्द्र चौधरी) सदस्य</p> 	